सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 के मिनिट्स

माननीय श्री जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता मे दिनांक 22.08.2022 को कलेक्टर कार्यालय, नीमच में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नीमच जिले के निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए-

1. कलेक्टर जिला नीमच
2. पुलिस अधिक्षक नीमच
3. अपर कलेक्टर नीमच
4. अनुविभागीय अधिकारी नीमच
5. जिला परिवहन अधिकारी नीमच
6. पुलिस थाना यातायात नीमच
7. लोक निर्माण अधिकारी नीमच
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीमच
9. प्रभारी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना नीमच
10. प्रभारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नीमच
11. प्रभारी एम.पी.आर.डी.सी नीमच
12. जिला शिक्षा अधिकारी
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी नीमच

उक्त मीटिंग में अपर कलेक्टर के द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी में दिए गए बिन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पालन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। पुर्व में दिनांक 04.08.2022 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग के बिन्दुओं पर चर्चा की गई जिन बिन्दुओं पर कार्य नहीं हुआ हैं उन्हें शीघ्र पुर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

मिनिट्स :-

1. चन्दू से नयागांव तक हाईवे के किनारे के स्थानों का चयन कर अतिक्रमण को हटाने हेतु संयुक्तरूप से कार्यवाही की जाना।
2. लोगों में ज़ागरूकता लाकर वाहनों पर जनसहयोग से रिफलेक्टर टेप लगवाया जाए।
3. ओव्हर स्पीडिंग को रोकने हेतु चैकिंग की जावे।
4. स्कुल एवं कॉलेजों में हेलमेट पहनने हेतु जागरूकता लाने हेतु सेमिनार का आयोजन किया जाए एवं नए तरीके अपनाए जाए जिससे लोगों में हेलमेट पहनने की आदत निर्मित हो सके।
5. स्कूलों में बच्चो को लाने लजाने वाले प्रायवेट वाहन जैसे (तुफान, ऑटो, ओमनी वेन) को संचालित होने से रोकना एवं बच्चों के अभिभावकों में ज़ागरूकता लाई जाना। **(कार्यवाही यातायात)**

1. चन्दू से नयागांव तक हाईवे के किनारे के स्थानों का चयन कर अतिक्रमण को हटाने हेतु संयुक्तरूप से कार्यवाही की जाना।
2. ईन्टरस्टेट बसों के लिए बस स्टेण्ड हेतु रोडवेज बस स्टेण्ड को परिवर्तित करना।
3. लाईंस पार्क को ट्राफिक पार्क में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव।
4. सड़को से आवारा पशु हटाना। **(कार्यवाही नगर पालिका)**

1. चन्दू से नयागांव तक हाईवे के किनारे के स्थानों का चयन कर अतिक्रमण को हटाने हेतु संयुक्तरूप से कार्यवाही की जाना।
2. ट्रांसपोर्ट एवं मेकेनिक नगर व ट्रक्स के अस्थाई halt करने के लिए भूमि का आवंटन किया जाए।
3. हाईवे पर शराब की दूकानों के बहार लगे बोर्ड को हटवाना। (कार्यवाही तहसीलदार)

1. भरभडिया चौराह पर हाई मास्क लाईट लगवाई जाना हैं।
2. मनासा से मन्दसौर रोड़ पर ''शार्प टर्न'' का बोर्ड लगाया जाना। (कार्यवाही MPRDC)

1. बस चालकों के लिए EYE TEST का Campaign आयोजित करना।
2. स्कूलों में बच्चो को लाने लजाने वाले प्रायवेट वाहन जैसे (तुफान, ऑटो, ओमनी वेन) को संचालित होने से रोकना एवं बच्चों के अभिभावकों में जागरूकता लाई जाना।
3. जिले में समस्त स्कूल के प्रधानाचार्य को ''पेरेन्टस टीचर मिटिंग'' आयोजित करना जिसका मोटो बच्चों की सुरक्षा पर आधारित हो। (कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी)

1. बस चालकों के लिए EYE TEST का Campaign आयोजित करना।
2. स्कूलों में बच्चो को लाने लजाने वाले प्रायवेट वाहन जैसे (तुफान, ऑटो, ओमनी वेन) को संचालित होने से रोकना एवं बच्चों के अभिभावकों में जागरूकता लाई जाना।
3. लोगों में जागरूकता लाकर वाहनों पर जनसहयोग से रिफलेक्टर टेप लगवाया जाए।
4. स्कुल एवं कॉलेजों में हेलमेट पहनने हेतु जागरूकता लाने हेतु सेमिनार का आयोजन किया जाए एवं नए तरीके अपनाए जाए जिससे लोगों में हेलमेट पहनने की आदत निर्मित हो सके।
5. आरटीओ कार्यालय के परिसर में ट्राफिक नियमों का बोर्ड लगाए जाए।

(कार्यवाही आरटीओ)

1. सिंगोली एवं मनासा के थाना प्रभारी के साथ भ्रमण करना।

(कार्यवाही MPRDC/PMGSY/RTO/TRAFFIC/RES/PWD)

1. जिले में संचालित होने वाले स्कूलों के बहार ''आगे स्कूल हैं'' का बोर्ड लगवाना।

(कार्यवाही MPRDC/PMGSY/RES/PWD)

उपरोक्त कार्य जल्द से जल्द पुर्ण कर लिए जावें। जिसकी समीक्षा आगामी मीटिंग में की जावेगी।

कलेक्टर
जिला नीमच
नीमच,दिनांक 24/08/22

पृ.क्र. 1543 /जि.प.अ./2022
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. श्रीमान परिवहन आयुक्त म.प्र. ग्वालियर।
2. श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन।
3. कलेक्टर महोदय नीमच।

4. पुलिस अधिक्षक नीमच।
5. अनुविभागीय अधिकारी नीमच
6. पुलिस थाना यातायात नीमच
7. लोक निर्माण अधिकारी नीमच
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीमच।
9. प्रभारी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना नीमच।
10. प्रभारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नीमच।
11. प्रभारी एम.पी.आर.डी.सी नीमच।
12. जिला शिक्षा अधिकारी नीमच।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी नीमच।

कलेक्टर
जिला नीमच